

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी
राकेश आदिमुकाम- धोद मु. सीकर
चुन्नीलाल आदि

किस्म मुकदमा- राजस्व प्रार्थना-पत्र

बनाम

मु.नं. 61/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
07.01.2020	<p>वकील प्रार्थीगण द्वारा यह आवेदन बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा के तहत इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। आवेदन दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी ने प्रकरण आवश्यक प्रकृति का मानते हुए स्थगन दिये जाने के निवेदन किये जाने पर वकील प्रार्थी की अंतरिम स्थगन पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने से आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से अंतरिम रूप से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात खसरा सं. 1411/853, खसरा सं. 1413/864, खसरा सं. 1415/863, खसरा सं. 1420/871, खसरा सं. 870 कुल किता 5 कुल रकबा 9.30 हैक्टेयर वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील धोद जिला सीकर में आगामी तारीख पेशी रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी. नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 07.02.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">Riy उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर</p>	
30.01.2020	<p>पत्रावली आज वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के आवेदन बाबत मिसल तलबी पर पेशी में ली गई। उज्ज्वल वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने स्व आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में राजीनामा हो चुका है। अतः हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन "Not Press" में खारिज किया जावे। इस बाबत वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने पत्रावली आदेशिका पर "Not Press" का अंकन भी किया। पत्रावली व प्रस्तुत आवेदन का अवलोकन किया। पत्रावली से सम्बन्धित मूल वाद भी वकील वादीगण/प्रार्थीगण के निवेदन पर खारिज की जा चुकी है। अतः वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के निवेदन पर मुताबिक "Not Press" अंकन के प्रार्थीगण का हस्तगत आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही उपेक्षित नहीं है। अतः पत्रावली फ़ैसल भुमार होकर बाद तक मील दाबिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">Riy उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर</p>	<p>116 + 1248</p> <p>रिपोर्ट 2।</p> <p>भारती प्रिंटर</p> <p>विमान</p> <p>पत्रावली</p> <p>30.01.2020</p>

